



षोडश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-16.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- | | | |
|--|--|------------------------|
| <p>1. श्री भोला यादव,
स०वि०स०</p> <p>श्री आलोक कुमार मेहता,
स०वि०स०</p> <p>श्री ललित कुमार यादव,
स०वि०स०</p> <p>श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव,
स०वि०स०</p> <p>श्री राजेन्द्र कुमार,
स०वि०स०</p> | <p>राजपत्रित तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग का गठन किया गया है, जिसमें तकनीकी सेवाओं जैसे-चिकित्सक, पशु चिकित्सक आदि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा नहीं कराकर अंक के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ज्ञातव्य हो कि प्रायः राज्य के सरकारी महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक राज्य के अंदर या बाहर के प्राइवेट महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांक के अपेक्षा कम रहते हैं, जबकि सरकारी महाविद्यालय के छात्र अपेक्षाकृत ज्यादा मेधावी होते हुए भी नियुक्ति की अवसर से वंचित हो जा रहे हैं।</p> <p>अतएव राज्य हित एवं मेधा हित में बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा तकनीकी पदों पर की जा रही नियुक्तियों में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।</p> | <p>सामान्य प्रशासन</p> |
|--|--|------------------------|

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. डॉ० रामानुज प्रसाद,
संवि०स०
श्री मो० नवाज आलम,
संवि०स०
श्री शिवचन्द्र राम,
संवि०स०
श्री अशोक कुमार,
संवि०स० (क्षेत्र संख्या-208)

प्रदेश में स्नातक स्तर की तकनीकी एवं गैर तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक रूप से कमजोर छात्र / छात्राओं को बिहार एवं बिहार से बाहर शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्त निगम द्वारा "स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना" के माध्यम से अधिकतम 4 लाख रुपये ऋण की व्यवस्था की गई है लेकिन स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई हेतु आर्थिक रूप से कमजोर छात्र / छात्राओं के लिए ऋण की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र / छात्राएं स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं।

शिक्षा

अतएव स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई के लिए भी आर्थिक रूप से कमजोर छात्र / छात्राओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/19- 856 / वि०स०, पटना, दिनांक-15 जुलाई, 2019 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(पांडव कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/19- 856 / वि०स०, पटना, दिनांक-15 जुलाई, 2019 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।


(पांडव कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।